



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4.531

श्री लाखन सिंह धाकर
द्वारा आज दि. 17-11-17
प्रस्तुत

लाखन सिंह धाकर
न्यायालय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

क्र. अ. 58-12-17
8-12-17

बादलसिंह पुत्र श्री कमलू चमार
निवासी - ग्राम भौराकाछी, तहसील/जिला
अशोकनगर (म.प्र.)आवेदक

बनाम

- 1- केदार पुत्र हरनाम काछी(फोट) वारिसान
अ- प्रदीप
ब- जसमन पुत्रगण स्व केदार
स- गीता पुत्री स्व. केदार
द- लीला पुत्री स्व. केदार
- 2- पप्पू पुत्र बटू लाल काछी
निवासीगण - ग्राम अमाही, तहसील व
जिला अशोकनगर (म.प्र.).....अनावेदकगण

लाखन सिंह धाकर
17-11-17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 297/स्व.
निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.17 के विरुद्ध प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 865/6 रकवा 0.627 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 965 रकवा 0.575 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 976 रकवा 0.272 हैक्टेयर, कुल कित्ता 3 कुल रकवा 1.474 हैक्टेयर ग्राम भौराकाछी, तहसील/जिला अशोकनगर (म.प्र.) में स्थित है उक्त विवादित भूमि का पट्टा आवेदक को विधिवत पात्रता के आधार पर बंटन हुआ था। उक्त विवादित भूमि का पट्टा विधिवत तहसीलदार महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर द्वारा विधिवत प्रकरण क्रमांक 39/अ-19/2001-2002 पर पंजीवद्ध किया जाकर कार्यवाही की गई और आवेदक को पात्रता के आधार पर आदेश दिनांक 09.06.2002 से पट्टा दिया गया था। तथा उसी दिनांक से मौके पर कब्जा प्राप्त किया जाकर निरंतर खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।
- 2- यह कि आवेदक एक हरिजन जाति का व्यक्ति है जिसे म.प्र. शासन द्वारा नियमानुसार पात्रता के आधार पर पट्टा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक फर्जी शिकायत के आधार पर आवेदक को विना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जवकि शिकायतकर्ता को शिकायत करने का अधिकार नहीं है शिकायतकर्ता गलतरूप से शासकीय भूमि पर अवैधरूप से कब्जा कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत हित छिपा हुआ है इस कारण उसके द्वारा मिथ्या शिकायत की गई है। जो विचार योग्य ही नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने एकपक्षीयरूप से आदेश पारित किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

